<u>वित्तीय स्वीकृति</u>

<u>संख्या-39/2020/598/18-2-2020-30(1)/2015</u>

प्रेषक

बृजेन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 24 नवम्बर, 2020

विषयः-एम0एस0एम0ई0 पोर्टल विकसित किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विषयक आपके पत्र संख्या-347/क0 प्रकोष्ठ/2020-21, दिनांक 18-11-2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में एम0एस0एम0ई0 पोर्टल विकसित किये जाने के निमित्त आय-व्ययक में प्राविधानित रू0 5.00 लाख (रूपये पांच लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखने तथा व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार किया जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित योजना की स्वीकृत मदों पर ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए व्यय नहीं किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा शासन के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गए मितव्ययता सम्बन्धी शासनादेशों एवं इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18 मई, 2020 व कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा। उक्त योजनान्तर्गत अधिष्ठान व्यय के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि के व्यय में समस्त वित्तीय नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- पोर्टल के संचालन/क्रियान्वयन हेतु कोई भी कर्मी सीधे अनुबन्ध अथवा दैनिक वेतन/स्थिर वेतन पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, मात्र जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर न्यूनतम संख्या में आवश्यक कर्मी ही रखे जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- समस्त प्रणाली की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व आयुक्त एवं निदेशक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर का होगा।

7- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-3 "लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-11-एम0एस0एम0ई0 पोर्टल-42-अन्य व्यय" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

बृजेन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, वित्तीय एंव सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- अर्थ नियंत्रक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0 प्र0, कानपुर।
4- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, नियोजन अनुभाग-4
6- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
7 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

बृजेन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।